न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./57/2020/बाड़मेर

अपीलांट

1. हीराराम पुत्र श्री छोगाराम
2. वालाराम पुत्र श्री छोगाराम
3. कोहलाराम पुत्र श्री छोगाराम
4. सुजादेवी बेवा छोगाराम
5. अर्जुनराम पुत्र नागजी
6. छगनादेवी बेवा नागजी
7. कृष्णचंद पुत्र नागजी
8. हकमाराम पुत्र तोगाजी जाति पुरोहित निवासीगण ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तिलोका पुत्र प्रभु
2.नागा पुत्र प्रभु जातियान पुरोहित निवासीयान ईटवाया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
3.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 14/2017 बअनवान तिलोका वगै. बनाम हीरा वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाशपुरी गोस्वामी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवनगिरी सोडियार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 30.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1325 ग्राम ईटवाया में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1321 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रेस्पोडेंट को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांटगण को विना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे—बैठे उतरदातागण के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट पर स्वयं मातहत अदालत ने दिनांक 06.09.2019 को अस्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा, जो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

उपरांत बिना सुने पूर्व की तारीख में उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.09.2020 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर स्वयं मातहत अदालत ने दिनांक 06.09.2019 को अस्पष्ट रिपोर्ट हेतु तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा, जो कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, उसके उपरांत बिना सुने पूर्व की तारीख में उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.09.2020 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1325 ग्राम ईटवाया में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 25.12.2017 जो तहसीलदार सिवाना स्वयं ने मौके पर जाकर तैयार की गई। मौका रिपॉर्ट में स्पष्ट आया है कि राजस्व नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1321 में बिन्दु संख्या A पर कटान रास्ता लगता है। जबकि मौके पर बिन्दु A से B

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

"तक खसरा संख्या 1321 के सेड़े–सेड़े खसरा संख्या 1322 में (वरंग हरा) रास्ता चल रहा है तथा ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रार्थीगण ने वताया कि उनका आवागमन बिन्दु B से C तक इसी चाहे गये रास्ते से हो रहा था जो वर्तमान में वंद कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 06.09.2019 को मौका फर्द दिनांक 25.12.2017 पर तहसीलदार सिवाना से स्पष्टीकरण चाहा गया जो अप्राप्त रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा उनकी जानकारी होते हुए भी खसरा संख्या 1322 में खातेदारों को हस्तगत आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 1322 में चल रही ग्रेवल सड़क के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1321 में नवीन रास्ते प्रस्तावित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द दिनांक 25.12.2017 पर गौर किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि की मंशा के विपरित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 14/2017 बअनवान तिलोका वगै. बनाम हीरा वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.09.2020 को अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 1322 के खातेदारों को हस्तगत आवेदन में पक्षकार के रूप में संयोजित कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.05.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार लाखड़ी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर